छात्रों के छात्रावास की नियमावली

Remove Watermark Now

1. **दैनिक उपस्थिति :** प्रतिदिन नियमित रूप से रात्री 9:15 से 9:30 बजे के बीच होस्टल वार्डन/केयर टेकर द्वारा छात्रों के कमरों में ही दैनिक उपस्थिति या अनुपस्थिति अंकित की जायेगी। बिना बताये अपने कमरे में किसी भी छात्र के अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. **आउटपास देने की प्रकिया :** वार्डन के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (प्रपत्र) पर ही (आउटपास रजिस्टर में पूरा विवरण लिखने के बाद) छात्रावास के छात्रों को दिया जायेगा। कोई भी छात्र बिना उपयुक्त आउटपास के आर0 सी0 ई0 कैम्पस से बाहर नही जा सकेगा। बिना अनुमति जाने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वय उस छात्र की होगी जिसके लिए वह उचित सजा का हकदार होगा।

3. **छात्रावास से छुट्टी जाने की प्रकिया :** निर्धारित छुट्टी के प्रपत्र पर कक्षाध्यापक/विभागध्यक्ष तथा छात्रावास वार्डन के हस्ताक्षर के पश्चात् रजिस्ट्रार के काउन्टर साईन से ही छात्र छुट्टी पर जा सकेंगे । वार्डन छात्र या छात्राओ के संरक्षक से फोन पर बात करने के पश्चात् ही छुट्टी सुनिश्चित करेंगे। छुट्टी के दौरान पढाई के नुकसान का जिम्मेदारी छात्र की होगी।

4. **भोजन व्यवस्था :** सभी समय का भोजन (जो निर्धारित मैन्यू के अनुसार होगा) केवल भोजनालय में ही किया जायेगा तथा बीमार छात्र के अलावा किसी भी अन्य का भोजन कभी भी कमरे में नही जायेगा।

pdfelement

5. **भोजन का समय :** निम्न समय पर होगा ।

अ–नाश्ता	:	सुबह 7:45 बजे से 8:50 बजे तक
इतवार व छुट्टी के दिन	:	सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
ब–दोपहर का भोजन	:	दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक
स–शाम की चाय	:	शाम 5:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
द–रात का भोजन	:	रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक

(होस्टल वार्डन एवं केयर टेकर भोजन के समय भोजनालय मे ही उपस्थित रहेगें तथा भोजन वितरण को सुपरवाईज करेगें)

6. **छात्रावास में मिलने का समय एवं व्यवस्था :**

अ– गर्मियो में	:	शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक
ब– सर्दियों मे	:	शाम 4:50 बजे से शाम 6:00 बजे तक
स– रविवार व छुट्टी के दिन सुबह	:	सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

द– छात्र अपने संरक्षक या मिलने वालो को केवल लॉबी में ही मिल सकते है कोई भी आगन्तुक छात्रो के कमरो में नही जायेगे तथा वार्डन/केयरटेकर इसको सख्ती से लागू करेगें।

7. कैम्पस एवं छात्रावास में शराब, तम्बाकु/गुटका, पान मसाला, मॉस व अन्य नशीले पदार्थ पूरी तरह प्रतिबन्धित है। अगर कोई छात्र इसका इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

Remove Watermark Now

8. कोई भी छात्र/छात्रा एक दूसरे के छात्रावास मे नही जा सकते है। यह पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। यदि कभी भी कोई छात्र गर्ल्स छात्रावास में या छात्रा ब्वाइज छात्रावास में गलती से भी पाया गया तो सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

9. **रैगिंग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।** माननीय उच्चतम न्यायालय एवं यू0जी0सी0 के आदेशानुसार किसी भी तरह की रैगिंग करने वाला सख्त से सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही का भागी होगा।

10. छात्रावास से बाहर जाने की स्थिति मे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कालेज की नही होगी। कालेज से बाहर जाने वाले छात्र को किसी व्यक्ति से लिफ्ट लेकर नही जाना चाहियें।

11. कॉलेज जाने से पूर्व सभी छात्र अपने–अपने कमरों को व्यवस्थित करके जायेगें अपना कोई भी कीमती सामान अलमारी मे ताले में रखेगें तथा उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

12. रात्रि 9:00 बजे से 11:00 बजे तक समय पढ़ने के लिये है, कोई भी छात्र एक दूसरे के कमरे में नही जायेगें जो छात्र 11:00 बजे के बाद भी पढ़ना चाहते है, वो पढ़ सकते है।

13. कॉलेज या छात्रावास के किसी भी सामान की तोड़ फोड़ या नियम के उलघंन होने पर उचित दण्ड़ लगाया जायेगा।

pdfelement

14. छात्रावास के प्रॉगण में बाहर के छात्रों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है।

15. छात्रावास मे बिजली की प्रेस/हीटर प्रतिबन्धित है। कमरे में पाये जाने पर पहली बार में रू0 100 का फाईन किया जायेगा तथा पुर्नरावृति होने पर कम से कम रू0 500 रू0 फाईन किया जायेगा।

16. छात्रालय आपका घर है अतः नियमो के दायरे में रहतें हुए सभी छात्र सुख एवं प्रसन्नता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। सभी छात्रो को छात्रावास के नियमो का पालन करना अनिवार्य है।

आज्ञा से
कालेज प्रबन्धन